कार्यकारी सारांश

कार्यकारी सारांश

प्रतिवेदन के बारे में

भारत के नि0म0ले0प0 का यह प्रतिवेदन वर्ष 2023–24 के लिए राज्य के वित्त पर है। यह वित्त, बजटीय प्रबंधन और लेखे की गुणवत्ता, वित्तीय प्रतिवेदन संव्यवहारों और राज्य वित्त से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण मामलों का विहंगावलोकन प्रदान करता है।

यह कार्यकारी सारांश इस प्रतिवेदन की विषय वस्तु एवं महत्वपूर्ण आँकड़ें और पहलुओं को संक्षिप्त परिदृश्य के माध्यम से राजकोषीय स्थिरता, बजटीय उद्देश्य के सापेक्ष उपलब्धियाँ, राजस्व और व्यय अनुमान, विविधताओं के कारणों और उसके प्रभाव आदि पर प्रकाश डालता है।

वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी0एस0डी0पी0), 10.32 प्रतिशत की औसत वृद्धि के साथ 2019–20 में ₹ 5,81,855 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 8,54,429 करोड़ हो गया। राज्य का व्यय 2019–20 में ₹ 1,38,987 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 2,29,103.05 करोड़ हो गया।

वर्ष 2022–23 की तुलना में जी0एस0डी0पी0 में 14.47 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राजस्व प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में 11.96 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा जी0एस0डी0पी0 के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत 2022–23 में 23.14 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 22.63 प्रतिशत रह गया। इस अवधि में कर राजस्व में 16.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा राज्य के स्व–कर राजस्व में वर्ष 2022–23 की तुलना में 9.87 प्रतिशत की वृद्धि हुई। राज्य का कुल व्यय (राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा ऋण एवं अग्रिम) 2022–23 में ₹ 2,17,552.81 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 2,29,103.05 करोड़ हो गया, अर्थात् 5.31 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें से, राजस्व व्यय में वर्ष 2022–23 से 3.55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई। राज्य ने पिछले वर्ष के दौरान ₹ 11,288.20 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में इस वर्ष ₹ 2,833.06 करोड़ का राजस्व अधिशेष प्राप्त किया है। राजकोषीय घाटा 2022–23 में ₹ 44,823.30 करोड़ से घटकर 2023–24 में ₹ 35,659.88 करोड़ हो गया।

प्राप्ति – व्यय

राज्य के पास प्राप्तियों के विभिन्न स्रोत हैं यथा राज्य का स्व–कर राजस्व, गैर–कर राजस्व, करों मे राज्यांश का अंतरण, सहायता अनुदान एवं केंद्र सरकार से हस्तांतरण तथा गैर–ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ। राज्य सरकार के व्यय में राजस्व मदों पर व्यय के साथ–साथ पूँजीगत व्यय (परिसंपत्तियों का सृजन, ऋण और अग्रिम, निवेश आदि) भी शामिल है।

राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 8.41 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि दर से 2019–20 में ₹ 1,24,233 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 1,93,347 करोड़ हो गईं। केंद्रीय करों और शुल्कों में राज्य की हिस्सेदारी ₹ 50,198 करोड़ (79.17 प्रतिशत) 2019–20 (₹ 63,406 करोड़) से बढ़कर 2023–24 (₹ 1,13,604 करोड़) हो गई। इस अवधि के दौरान पूँजीगत प्राप्तियाँ भी ₹ 29,175 करोड़ से बढ़कर ₹ 60,314 करोड़ हो गईं। राजस्व प्राप्तियों में सहायता अनुदान का हिस्सा 2019–20 में 21.71 प्रतिशत से घटकर 2023–24 में 13.51 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार को वर्ष 2023–24 में केंद्र प्रायोजित योजनाओं (सी0एस0एस0) के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 17,961.52 करोड़ प्राप्त हुए।

राज्यों द्वारा सेवाओं के वर्तमान स्तर को बनाए रखने और पिछले दायित्वों के ब्याज भुगतान के लिए राजस्व व्यय किया जाता है। इस प्रकार, इससे राज्य के बुनियादी ढाँचे और सेवा–तंत्र में कोई वृद्धि नहीं होती है। वर्ष 2019–20 से 2023–24 के बीच राजस्व व्यय ₹ 1,26,017 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 21.66 प्रतिशत) से बढ़कर ₹ 1,90,514.17 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 22.30 प्रतिशत) हो गया। इस अवधि के दौरान कुल व्यय में इसका हिस्सा लगातार 83.16 से 90.67 प्रतिशत तक रहा।

साधन से अधिक व्यय का परिणाम

वर्ष 2023–24 में राजस्व व्यय की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की अधिकता के कारण राज्य को ₹ 2,833.06 करोड़ का राजस्व अधिशेष प्राप्त हुआ।

राज्य सरकार ने पूँजीगत मदों पर ₹ 36,453 करोड़ का व्यय किया, जो वर्ष 2023–24 के दौरान कुल व्यय का 15.91 प्रतिशत और कुल उधारियों का 22.40 प्रतिशत था। उधार ली गई शेष धनराशि का उपयोग मुख्य रूप से, पूँजी सृजन/विकास गतिविधियों के बजाय वर्तमान उपभोग को पूरा करने और उधारों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था।

राज्य को कुल व्यय और कुल गैर–ऋण प्राप्तियों के बीच अंतर के परिणामस्वरूप राजकोषीय घाटा हुआ। राज्य का राजकोषीय घाटा 2019–20 में ₹ 14,723.93 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 2.53 प्रतिशत) से बढ़कर 2023–24 में ₹ 35,659.88 करोड़ (जी0एस0डी0पी0 का 4.17 प्रतिशत) हो गया।

राजस्व व्यय के अंतर्गत, प्रतिबद्ध व्यय का परिमाण सबसे बड़ा है। प्रतिबद्ध व्यय, संसाधनों पर सबसे पहले भारित होते हैं और इसमें ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन पर व्यय शामिल होते हैं। ब्याज भुगतान, वेतन एवं पेंशन पर प्रतिबद्ध व्यय 2019–20 (38.47 प्रतिशत) तथा 2023–24 (36.89 प्रतिशत) के दौरान राजस्व व्यय का 34.30 से 38.66 प्रतिशत था। प्रतिबद्ध व्यय 2019–20 में ₹ 48,477.72 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 70,282.32 करोड़ हो गया।

गैर–प्रतिबद्ध व्यय का प्रमुख भाग के रूप में सब्सिडी

गैर–प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत, सब्सिडी में वृद्धि की प्रवृत्ति थी, जो 2019–20 में ₹ 7,121.27 करोड़ से बढ़कर 2023–24 में ₹ 16,244.61 करोड़ हो गई, अर्थात् 2019–20 में कुल राजस्व व्यय 5.65 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 8.53 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि के दौरान कुल सब्सिडी में विद्युत सब्सिडी का हिस्सा सर्वाधिक, 72.92 प्रतिशत से 82.77 प्रतिशत तक था।

गैर–बजट उधारी

राज्य सरकार ने लोक क्षेत्र के उपक्रम (बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड) के माध्यम से 2023–24 के दौरान ₹ 53.48 करोड़ की गैर–बजट उधारी ली। यह राज्य की समेकित निधि से बाहर रहा, तथापि पुनर्भुगतान एवं प्रतिपूर्ति राज्य के बजट के माध्यम से किया जाना अपेक्षित है।

गारंटियों के कारण आकस्मिक देनदारियाँ

वित्तीय वर्ष 2023–24 तक, सरकार ने ₹ 28,040.96 करोड़ के ब्याज सहित उधार के सापेक्ष गारंटी दी। विगत पाँच वर्षों के दौरान, आकस्मिक देनदारियाँ राज्य के राजस्व प्राप्तियों का 4.41 प्रतिशत से 15.79 प्रतिशत और जी0एस0डी0पी0 का 0.94 प्रतिशत से 3.87 प्रतिशत तक था।

राजकोषीय स्थायित्व

राजकोषीय स्थायित्व की जाँच, वृहत राजकोषीय मापदंडों जैसे घाटे, ऋण एवं देयताओं का स्तर, गैर–बजट उधारी प्रतिबद्धताओं, गारंटियों, सब्सिडियों आदि के संदर्भ में की जाती है। जहाँ तक राजस्व और व्यय के असंतुलन का सवाल है, प्रतिबद्ध और अनम्य व्यय महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है, जिसमें वेतन, पेंशन भुगतान, ब्याज आदि तथा अन्य अनम्य व्यय जैसे केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए प्रतिबद्धता, आरक्षित निधियों में अंतरण, स्थानीय निकायों को हस्तांतरण आदि शामिल थे।

बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (बी0एफ0आर0बी0एम0) की अपेक्षाएँ और राजकोषीय मापदंडों का अनुपालन

बी0एफ0आर0बी0एम0 अधिनियम कुछ सीमाएँ निर्धारित करता है, जिनके अधीन ही जी0एस0डी0पी0 के प्रतिशतता के सापेक्ष राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और ऋण होना चाहिए। वर्ष 2023–24 में, राज्य ने 2018–19 के बाद राजस्व अधिशेष प्राप्त किया; राजकोषीय घाटा अधिकतम 3.50 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 4.17 प्रतिशत था जबकि कुल बकाया देनदारी 40.40 प्रतिशत की सीमा के मुकाबले 38.94 प्रतिशत थीं।

इसके अलावा, यदि गैर–बजट उधारी की मात्रा को ऋण के हिस्से के रूप में शामिल किया जाता है, तो सरकार की कुल देनदारियाँ (लोक ऋण और लोक लेखे देनदारियों सहित) जी0एस0डी0पी0 का 38.95 प्रतिशत थी।

ऋण स्थिरीकरण विश्लेषण के अनुसार, बिहार सरकार का लोक ऋण 2019–20 से 2023–24 के बीच बकाया लोक ऋण 17.30 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा है। बिहार का लोक ऋण–जी0एस0डी0पी0 अनुपात 2019–20 में 25.47 प्रतिशत से बढ़कर 2023–24 में 32.78 प्रतिशत हो गया, जो ऋण स्थिरीकरण में जोखिम को दर्शाता है।

वर्ष 2019–20 से 2023–24 की अवधि में बिहार प्राथमिक घाटे वाला राज्य रहा है। डोमार गैप (जी–आर) 2021–22 से 2023–24 की अवधि के दौरान सकारात्मक रहा जबकि 2019–20 और 2020–21 के दौरान यह नकारात्मक था। कोविड–19 की अवधि के बाद, पिछले तीन वर्षों में डोमार गैप (जी–आर) ने सकारात्मक प्रवृत्ति दर्ज की है। डोमार मॉडल के तहत ऋण स्थिरता की शर्तों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार की राजकोषीय देनदारियों ने 2019–20 एवं 2020–21 को छोड़कर ऋण स्थिरता (जी–आर > 0) की शर्त को पूरा किया है।

वित्तीय वर्ष 2021–22 से 2023–24 के दौरान, हालांकि डोमार गैप (जी–आर के रूप में व्यक्त) सकारात्मक था, और इसका मूल्य भी पिछले वर्षों की तुलना में बढ़ा, प्राथमिक घाटा स्थिर नहीं था और 2022–23 में पिछले वर्ष की तुलना में दोगुने से अधिक बढ़ गया, हालांकि 2023–24 में इसमें सुधार हुआ। इसके अलावा, लोक ऋण प्राप्तियों के एक बड़े हिस्से का उपयोग ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए किया जा रहा था, जो 2019–2024 की अवधि के दौरान 68.82 प्रतिशत और 75.77 प्रतिशत के बीच था।

बजट कार्यकुशलता

समग्र व्यय उत्पादकता (बजट अनुमान के सापेक्ष व्यय)

बजटीय आशय और बजट कार्यान्वयन के संदर्भ में बजट कार्यकुशलता की जाँच यह आकलन करने के लिए की जाती है कि कुल व्यय परिणाम, आधिक्य और बचत दोनों के संदर्भ में, मूलरूप से अनुमोदित राशि को किस सीमा तक दर्शाता है।

बजट अनुमानों (ब0अ0) की तुलना में परिणाम में विचलन राजस्व खंड में (–) 4.65 प्रतिशत और पूँजीगत खंड में (+) 15.73 प्रतिशत था।

व्यय संरचना की उत्पादकता (पुनरीक्षित अनुमान के सापेक्ष व्यय)

बजट कार्यकुशलता यह भी दर्शाती है कि क्रियान्वयन के दौरान बजट अनुमानों (ब0अ0) एवं बजट श्रेणियों के बीच पुनः आवंटन ने व्यय संरचना की भिन्नता में किस हद तक योगदान दिया है। यह पुनरीक्षित अनुमान (पुन0अ0) और वास्तविक व्यय के बीच अंतर की सीमा को मापता है।

पुनरीक्षित अनुमानों की तुलना में परिणाम में विचलन, राजस्व खण्ड में (–) 20.74 प्रतिशत और पूँजीगत खण्ड में (–) 3.68 प्रतिशत था।

अनावश्यक/अधिकाई अनुपूरक अनुदान

वर्ष 2023–24 के दौरान 13 विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत 13 मामलों (प्रत्येक मामले में 100 करोड़ रुपये से अधिक) में ₹ 11,042.66 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक साबित हुए, क्योंकि व्यय मूल प्रावधानों के स्तर तक भी नहीं आया।

अधिकाई व्यय

बजट प्रावधान से ₹ 39.47 करोड़ का अधिकाई व्यय मुख्यतः पथ निर्माण विभाग (₹ 39.43 करोड़) में हुआ। अधिकाई व्यय बजट प्रावधानों के प्रतिकूल है और इसके विनियमन की आवश्यकता है।

बढ़ा–चढ़ा कर बनाया हुआ बजट/केंद्र प्रायोजित योजनाओ में बड़ी बचत

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुल बचत की राशि ₹ 65,512.05 करोड़ में से केवल केंद्र प्रायोजित योजनाओं से ही ₹ 31,663.68 करोड़ की बचत थी, जो कुल बचत का 48.33 प्रतिशत होता है। इन योजनाओं के लिए कुल बजट प्रावधान, राज्य के कुल बजट का 24 प्रतिशत था।

समग्र बजट विश्वसनीयता मूल्यांकन से पता चलता है कि यद्यपि वास्तविक व्यय और मूल बजट के बीच विचलन केवल (–) 0.45 प्रतिशत था, वास्तविक व्यय और कुल बजट के बीच विचलन (–) 20.08 प्रतिशत था। विभिन्न अनुदानों में 25 प्रतिशत और उससे भी अधिक तक विचलन थे। इसके अलावा, कई मामलों में, यह भी पाया गया कि जहाँ व्यय मूल अनुदान तक भी नहीं था वहाँ पूरक अनुदान दिए गए थे।

लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन

लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय प्रतिवेदन उन मदों, संव्यवहारों और घटनाओं को समाहित करता हैं जो अनुपालन में अंतराल, नियमितता की कमजोरियों तथा उन लेखांकन अभिलेख या समायोजन अभिलेख की प्राप्ति मे देरी से संबंधित मुद्दों से संबंधित है, जो वास्तविक व्यय का प्रमाण देते हैं। यह लेखे और वित्तीय प्रतिवेदन से संबंधित मुद्दों, जैसे सरकारी लेखे के बाहर निधि का पड़े रहना, देनदारियों का निर्वहन न करना, आँकड़ें के अंतराल और संव्यवहार के गलत वर्गीकरण पर भी प्रकाश डालता है।

भारत सरकार के लेखा मानकों (आई0जी0ए0एस0) का अनुपालन

भारत सरकार के लेखा मानकों की आवश्यकता के संदर्भ में, राज्य सरकार ने आई0जी0ए0एस0–1: सरकार द्वारा दी गयी प्रत्याभूति, आई0जी0ए0एस0–2: सहायता अनुदान (जी0आई0ए0) का लेखांकन एवं वर्गीकरण, आई0जी0ए0एस0–3: सरकार द्वारा दिए गए ऋण एवं अग्रिम, का अनुपालन नहीं किया।

व्यक्तिगत जमा (पी0डी0) खातों का संचालन

सरकार ने ₹ 1.54 करोड़ के संयुक्त शेष वाले चार पी0डी0 खातों को व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (सी0एफ0एम0एस0) में स्थानांतरित नहीं किया हैं।

एकल नोडल एजेंसी (एस0एन0ए0) को निधि

भारत सरकार और राज्य सरकार ने प्रत्येक केंद्र प्रायोजित योजना (सी0एस0एस0) के कार्यान्वयन और निधि प्रवाह के लिए एकल नोडल एजेंसी (एस0एन0ए0) की प्रणाली प्रारंभ की है।

सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, 2023–24 में कुल अंतरित राशि ₹ 31,145.19 करोड़ में से राज्य सरकार को केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए केंद्रीय हिस्से के रूप में ₹ 18,231.24 करोड़ प्राप्त हुए। हालाँकि, पी0एफ0एम0एस0 प्रतिवेदन के अनुसार, ₹ 30,847.49 करोड़ की कुल प्राप्ति में से राज्य सरकार ने केंद्रीय हिस्से का ₹ 18,173.89 करोड़ और राज्य हिस्से का ₹ 12,673.60 करोड़ एस0एन0ए0 को अंतरित किया। सी0एफ0एम0एस0 के अनुसार, सहायता अनुदान विपत्रों के माध्यम से ₹ 22,470.94 करोड़ अंतरित किए गए। वास्तविक व्यय के विस्तृत अभिश्रव और सहायक अभिलेख एस0एन0ए0 से महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के कार्यालय में अप्राप्त थे।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र (यू0सी0)

निर्धारित समयावधि के अंदर उपयोगिता प्रमाण–पत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 70,877.61 करोड़ के 49,649 बकाया उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार को प्राप्त नहीं हुए थे।

उपयोगिता प्रमाण–पत्र के अभाव में, इस बात की कोई आश्वासन नहीं है कि वितरित की गई धनराशि का उपयोग इच्छित उद्देश्य के लिए किया गया है। इसके अलावा, यू0सी0 के लंबित रहने से धन के गबन, दुरुपयोग और विचलन का जोखिम बना रहता है।

सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्रों के विरूद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्र

सार आकस्मिक (ए0सी0) विपत्रों के माध्यम से आहरित अग्रिम राशि के विरुद्ध विस्तृत आकस्मिक (डी0सी0) विपत्र जमा करने की आवश्यकता के बावजूद, 31 मार्च 2024 तक ₹ 9,205.76 करोड़ के 22,130 ए0सी0 विपत्र के विरुद्ध डी0सी0 विपत्र जमा किए जाने हेतु लंबित थे। निर्धारित अवधि के अंदर डी0सी0 विपत्र जमा न करने से वित्तीय अनुशासन का उल्लंघन होता है तथा सार्वजनिक धन के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ जाता है।

प्रचलित नियमों और सांहित्तिक प्रावधानों का अनुपालन, लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन में नियंत्रण एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है। अवज्ञा और विचलन, लेखांकन एवं वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। अनुदान के विरूद्ध, यू0सी0 समय पर जमा न करना, ए0सी0 विपत्र के विरुद्ध, डी0सी0 विपत्र जमा न करना और एस0एन0ए0 से व्यय के ब्यौरे की अनुपलब्धता ने लेखे की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है।